



केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

Central Warehousing Corporation
(A Government of India Undertaking)



सं० के.म.नि./ 111-68(i) / ए.जी.एम.-2015-16 / बी.एण्ड सी.

दिनांक 10.08.2016

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/सचिव,
केन्द्रीय भण्डारण निगम के सभी अंशधारी

विषय: वार्षिक साधारण बैठक (AGM) में प्रोक्सी फार्म के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

केन्द्रीय भण्डारण निगम प्रति वर्ष होने वाली वार्षिक साधारण बैठक (AGM) के नोटिस के साथ प्रोक्सी फार्म सभी अंशधारी संस्थाओं को भेजते हैं। अंशधारी संस्थाएं प्रोक्सी फार्म को भर कर अंतिम तिथि से पहले इस कार्यालय को भेजती हैं। केन्द्रीय भण्डारण निगम जो प्रोक्सी फार्म सभी अंशधारी संस्थाओं को भेजेगा उसमें प्रोक्सी फार्म पर नम्बर एवं प्रोक्सी फार्म पर सी.डब्ल्यू.सी. का सुरक्षा होलोग्राम स्टीकर लगा होगा।

अंशधारी संस्था के पत्र के साथ निम्नलिखित को संलग्न करना आवश्यक है:-

- 1 विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि (Authorized representative) के रूप में नियुक्त करने वाले प्रस्ताव की एक प्रति, जो अंशधारी संस्था के निदेशक बोर्ड प्रबंध समिति या शासी निकाय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या उसके सचिव या प्रबंधक द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित हो जिस पर उसके हस्ताक्षर और पद की मोहर लगी हो।
- 2 भेजे गये दोनों मूल प्रोक्सी फार्म के सभी कॉलम भरे हुए, हस्ताक्षर और अंशधारी संस्था की मोहर लगी हो। मूल प्रोक्सी फार्म-1 केन्द्रीय भण्डारण निगम को समय से भेज दें।
- 3 उस अंशधारी संस्था का पैन कार्ड की फोटो कापी।

अंशधारी संस्था के पत्र के साथ विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि (Authorized representative) के रूप में नियुक्त करने वाले प्रस्ताव की एक प्रति पर हस्ताक्षर और अंशधारी संस्था की मोहर लगी होनी चाहिए, सभी कॉलम भरे हुए, हस्ताक्षर और अंशधारी संस्था की मोहर लगी मूल प्रोक्सी फार्म 1 (जिस पर केन्द्रीय भण्डारण निगम का सुरक्षा होलोग्राम स्टीकर लगा हो) और उस अंशधारी संस्था के पैन कार्ड की फोटो कापी अन्तिम तिथि से पहले इस कार्यालय को भेज देनी चाहिए। अन्तिम तिथि के बाद इन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस प्रोक्सी फार्म पर जिसका नाम लिखा हो वह उपरोक्त 1 व 3 कागजातों की फोटो कापी और भेजी गई मूल प्रोक्सी फार्म 2 (जिस पर केन्द्रीय भण्डारण निगम का सुरक्षा होलोग्राम स्टीकर लगा हो) एवं अपना मूल फोटो आई डी प्रूफ (वोटर आई डी कार्ड/आधार कार्ड/ ड्राइविंग लाईसेंस आदि) और आई डी प्रूफ की एक फोटो कापी साथ लेकर आये अन्यथा उसको वार्षिक साधारण बैठक में शामिल होने से रोका जा सकता है। सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

भवदीय,

Bohrium

अनंगपाल
सचिव

निगमित कार्यालय 4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली - 110016

- Corporate Office: 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016

दूरभाष Telephone : 26966268 और and 26566107 फैक्स 91-11-26518013



केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

Central Warehousing Corporation

(A Government of India Undertaking)



No.CWC/III-68(j)/AGM-2015-16/B&C

Dated: 10.08.2016

Chairman/MD/Secretary,
All Shareholders of CWC

Sub:- Proxy form in Annual General Meeting----reg.

Sir/Madam,


CWC is sending notice of Annual General Meeting along with proxy form every year to the shareholding institutions. These institutions fill the proxy form and send it to this office before last date. The Proxy forms which will be sent by the CWC to shareholding institutions will have number and Suraksha Hologram Sticker of CWC.

It is mandatory to enclose following documents with the letter of shareholding institutions:

1. Copy of the proposal for appointing a Authorized representative which is to be certified by the presiding officer of the Board of Directors Management Committee or governing body or its Secretary or Manager of the Shareholders institutions and it should have the stamp of his post and signature also.
2. All Columns of the original proxy forms should be filled up, signed and stamped by the Shareholders institutions and then original-1 proxy form should be sent to CWC.
3. Photocopy of Pan Card of the Shareholder institution.

The copy of proposal for appointing authorized representative should be stamped & signed by shareholding institutions, all Columns of original proxy form should be filled, stamped & signed and original-1 proxy form with forwarding letter & photocopy of Pan Card of that shareholding institution should be sent to this office before last date. It will not be considered after last date. Proxy holder will bring his/her original photo ID proof (Voter ID Card/Aadhar Card/Driving License etc.) alongwith photo copy of ID proof, the photocopy of above mentioned Sr. No.1 & 3 documents with the original-2 proxy form having all columns filled, signed and stamped by shareholding institutions, on which his/her name is mentioned otherwise he/she may not be allowed to attend the Annual General Meeting. This is for information and necessary action please.

Yours truly,


(Anangpal)
Secretary

निगमित कार्यालय 4/1, सीरी इंस्टीच्युशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली – 110016

- Corporate Office: 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016

दूरभाष Telephone : 26966268 और and 26566107 फैक्स 91-11-26518013

संख्या.....

CWC Security
Hologram

No.....

मूल-1 / Original-1

फार्म
केन्द्रीय भंडारण निगम

हम.....जो
कि केन्द्रीय भण्डारण निगम के अंशधारी हैं और हमारेअंश हैं,
जिनका संख्यांक.....है। हम एतद्द्वारा.....
.....को (उसके उपस्थित न होने पर
.....केको) निगम के
अंशधारियों की माह, 2016 केदिन को होने
वाली बैठक में और उसके किसी आस्थगन के समय हमारे लिए और हमारी
ओर से मत देने के लिए परोक्षी नियुक्त करते हैं।

माह.....की.....तारीख को.....दिन, 2016 को हस्ताक्षरित

FORM
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

We.....
.....of
.....being
a shareholder of the Central Warehousing
Corporation holding.....Shares
Nos.....hereby
appoint.....of.....
.....(or failing
him/her.....
of.....) as
our proxy to vote for us and on our behalf at a meeting of
the shareholders of the Corporation to be held on
.....the.....day of
.....2016 and at any adjournment thereof.

Signed this.....day of
.....2016.

संख्या.....

CWC Security
Hologram

No.....

मूल-2 / Original-2

फार्म
केन्द्रीय भण्डारण निगम

हम.....जो
कि केन्द्रीय भण्डारण निगम के अंशधारी हैं और हमारेअंश हैं,
जिनका संख्यांक.....है। हम एतद्वारा.....
.....को (उसके उपस्थित न होने पर
.....केको) निगम के
अंशधारियों की माह, 2016 केदिन को होने
वाली बैठक में और उसके किसी आस्थगन के समय हमारे लिए और हमारी
ओर से मत देने के लिए परोक्षी नियुक्त करते हैं।

माह.....की.....तारीख को.....दिन, 2016 को हस्ताक्षरित

FORM
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

We _____
_____ of
_____ being
a shareholder of the Central Warehousing
Corporation holding _____ Shares
Nos. _____ hereby
appoint _____ of _____
_____(or _____ failing
him/her _____
of _____) as
our proxy to vote for us and on our behalf at a meeting of
the shareholders of the Corporation to be held on
_____ the _____ day of
_____ 2016 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day _____ of
_____ 2016.